लखनऊ में 31 जनवरी से 1 फरवरी, 2015 तक आयोजित किए गए भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 77वें सम्मेलन में माननीय अध्यक्ष का उद्घाटन भाषण

उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी; उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय जी; राज्य विधान मंडलों के माननीय पीठासीन अधिकारीगण; लोक सभा और राज्य सभा के महासचिव; राज्य विधान मंडलों के सचिव; तथा देवियों और सज्जनोः

भारत में विधायी निकायों के 77वें सम्मेलन में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर मैं वास्तव में सम्मानित महसूस कर रही हूं । लोक सभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् मेरे लिए इस सम्माननीय मंच की यह पहली बैठक है और इस 94 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित सम्मेलन में इसके सभापति के रूप में सम्मिलित होकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूं ।

1921 में अपनी शुरुआत से लेकर अब तक भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने हमें राजनीतिक वार्ताओं के लिए एक नया मंच तथा नवीन और नूतन विचारों के लिए पारस्परिक आदान-प्रदान हेतु एक धरातल प्रदान किया है । प्रारंभ से ही पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन ने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक कार्य किया है कि बदलते समय के साथ विधानमंडल अपना सामंजस्य बनाए रखें । आज हमें यह मंच न केवल

संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए अपितु उन अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा करने के लिए उपलब्ध है जो हमारी संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अभिन्न रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं । आप सभी मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि भारत इस समय व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत का उदय साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पूरे विश्व ने भारत की संभावनाओं और उसकी क्षमता पर गौर किया है । भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के रूप में हमारी भी कतिपय भूमिका और जिम्मेदारी है कि हम एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत के बदलते स्वरूप को सुगम और सुकर बनाएं । इन सम्मेलनों ने हमारे विधायी निकायों में ठोस लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुस्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

जैसाकि हम जानते हैं, पहले यह सम्मेलन जनवरी, 2013 में पटना में आयोजित किया जाना था पर अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसे आस्थगित कर दिया गया। मुझे वास्तव में इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा ने इस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित करने का प्रस्ताव किया। इससे पहले 1961 और 1985 में लखनऊ में हमारे दो सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद हम भारत में संसद और विधान मंडलों के कार्यकरण को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर अपने विचारों के आदान-प्रदान करने हेतु यहां एकत्र हुए हैं ।

गोमती नदी के तट पर स्थित, लखनऊ शहर की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है । इस नगर का वर्णन हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के महाराजा रामचन्द्र ने लंका विजय के पश्चात् लखनऊ का राज्य क्षेत्र अपने समर्पित भ्राता लक्ष्मण को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था । यह शहर नवाबों के शहर के रूप में भी विख्यात है। आज के इस शहर के स्वरूप की स्थापना नवाब आसफ-उद-दौला ने की थी और इसने अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष को 19वीं शताब्दी में नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में प्राप्त किया जो संगीत और काव्य के बेहद प्रेमी थे । चाहे यह खान-पान हो, मनोहारी संगीत और नृत्य का विभिन्न स्वरूप हो या फिर बोलचाल की भाषा हो यहां हर चीज में शाही छटा है जिसके लिए लखनऊ एक समय मशहूर था। लखनऊ के लोग भारत के सबसे शिष्टाचार पसंद लोग हैं। इस शहर का भारत के स्वाधीनता संग्राम और देश के राजनीतिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के अलावा लखनऊ को बेहतरीन चिकन कारी अथवा मखमल पर बढ़िया कढ़ाई के लिए भी जाना जाता है। इस शहर ने अपने इत्र अथवा ''परफ्यूम'', गोटे की बुनाई और पतंग बनाने के काम के लिए हमेशा ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। कथक नृत्य, गजल, कव्वाली और शेर-ओ-शायरी ने समूचे विश्व से लोगों का ध्यान लखनऊ की ओर आकर्षित किया है। इन विगत वर्षों में इस शहर ने अपनी

विरासत को बनाए रखा है। इस शहर में सही सलामत बचे स्मारकों की मनोहारी वास्तुकला इसके भव्य अतीत की विशिष्ट शैली को दर्शाती है।

जैसाकि आप सभी जानते हैं, मैंने लोक सभा के अध्यक्ष का पदभार 6 जून, 2015 को इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद ग्रहण किया। इस पद के सम्मान के कारण ही मुझे देश के सभी भागों से आए साथी पीठासीन अधिकारियों के साथ वार्ता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस ऐतिहासिक शहर में इस सम्मेलन का भव्य आयोजन करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। मैं इस सम्मेलन के लिए उत्कृष्ट प्रबंधन करने हेतु विधान सभा की सराहना करती हूं।

इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं अपने उन कुछेक प्रतिष्ठित सहकर्मियों के दुःखद निधन के बारे में उल्लेख करना अपना कर्त्तव्य समझती हूं जो कभी न कभी पीठासीन अधिकारियों के इस परिवार के सदस्य रहे थे । वे हैं : बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री ताराकांत झा; गुजरात विधान सभा के पूर्व पीठासीन अधिकारी प्रो. मंगलभाई एम. पटेल; केरल विधान सभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री के. नारायण कुरूप; श्री ईश्वरदास रोहानी, पूर्व-अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा; श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा; श्री शंकरराव चीमाजी जगताप, पूर्व-अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; श्री कृष्णराव रखमाजीराव देसाई उर्फ

बाबा साहेब कुपेकर, पूर्व अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; श्री दत्ताजी शंकर नलावडे, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान सभा; श्री प्राणलाल हरकिशनदास वोरा, पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र विधान सभा; श्री सूर्यकांत जगोबाजी डोंगरे, पूर्व उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; श्री लक्ष्मण सोनोपंत उर्फ अन्ना जोशी, पूर्व उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान सभा; श्री मनीन्द्र रावा, पूर्व पीठासीन अधिकारी, मेघालय विधान सभा; श्री परसराम मदेरना, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा; श्री समरथ लाल मीणा, पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा; श्री राम नारायण बिश्नोई, पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा; श्री राम नारायण चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा; श्री नित्यानंद स्वामी, पूर्व पीठासीन अधिकारी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद; श्री धनीराम वर्मा, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा; श्री राम आसरे वर्मा, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा और श्री कलिमुद्दीन शम्स, पूर्व उपाध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा । पीठासीन अधिकारियों के हमारे इस परिवार को उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं इस अवसर पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि संसदीय प्रक्रिया और पद्धति में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है।

मैं इस अवसर पर उन गण्यमान्य पीठासीन अधिकारियों का भी स्वागत करती हूं जिन्होंने सितम्बर, 2011 में जयपुर में आयोजित पिछले सम्मेलन के पश्चात् पदभार ग्रहण किया है। अलग अलग राज्यों से 28 सभापति/ अध्यक्ष और 25 उप-सभापति/उपाध्यक्ष हमारे पीठासीन अधिकारियों के परिवार में शामिल हुए हैं। इसमें लोक सभा के मेरे सम्मानित सहयोगी डॉ. मुनिसामी तम्बिदुरईजी, माननीय उपाध्यक्ष जो एक श्रेष्ठ संसदविद हैं और किसी परिचय के

मोहताज नहीं हैं, भी शामिल है । आप सभी की ओर से और अपनी ओर से, मैं अपने इस परिवार में शामिल होने वाले प्रत्येक नए पीठासीन अधिकारी का स्वागत करती हूं और इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उनका हार्दिक स्वागत करती हूं । मैं उन सहयोगियों की भी अत्यंत सराहना करती हूं जो अब पीठासीन अधिकारी नहीं हैं किंतु हमारे सम्मेलन में जिनका बहुमूल्य योगदान रहा है।

वर्ष 2011 में जयपुर में आयोजित पिछले सम्मेलन के बाद से हमने पंद्रहवीं लोक सभा के सात सत्र और सोलहवीं लोक सभा के तीन सत्र आयोजित किए हैं। 18 मई, 2014 को पंद्रहवीं लोक सभा के विघटन के पश्चात् सोलहवीं लोक सभा के गठन के लिए 7 अप्रैल से 12 मई 2014 तक अलग अलग चरणों में आम निर्वाचन हुए। आम चुनाव जो विश्व का सबसे बड़ा निर्वाचन कार्य है, का सफल आयोजन प्रतिनिधिक लोकतंत्र में हमारे लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण है। इसमें मतदाताओं की कुल संख्या 66.40 प्रतिशत थी । दिलचस्प बात यह है कि सोलहवीं लोक सभा के गठन में युवाओं और नई पीढ़ी का जोर देखने को मिला है जिसमें 317 सदस्य पहली बार संसद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मुझे आशा है कि वर्तमान लोक सभा के सभी नव-निर्वाचित सदस्य हमारे संसदीय लोकतंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान देंगे। इस लोक सभा की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि महिला सदस्यों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्तमान लोक सभा में 65 महिला सदस्य हैं, जो संयोगवश लोक सभा निर्वाचन के

इतिहास में अब तक महिला सदस्यों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। हमारे देश के सर्वोच्च विधायी निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से महिला सशक्तीकरण के प्रति हमारा दृढ़ समर्थन परिलक्षित होता है।

मित्रों, प्रथा के अनुसार अब सोलहवीं लोक सभा के तीन सत्रों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण संसदीय गतिविधियों को संक्षेप में दोहराना चाहती हूं । यहां सर्वप्रथम मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि सोलहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र में पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों पर हुए आतंकी हमले की सभा में घोर निन्दा की गई। आतंकवाद पूरे विश्व में किसी भी समाज के लिए गंभीर चिन्ता बन गई है। आतंकवादी निर्दोष व्यक्तियों में दहशत पैदा करते हैं और जान-माल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से वे अपने काल्पनिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । भारत सभी प्रकार के आतंकवाद की पुरजोर निन्दा करता है । 17 दिसम्बर, 2014 के, शून्य काल के दौरान मैंने एक संकल्प का प्रस्ताव किया और सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की तथा पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई। सभा इससे सहमत हुई, मैं इसे उद्धृत करती हूंः

"यह सभा 16 दिसम्बर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में आतंकवादियों द्वारा 132 अबोध बच्चों, जो अभी अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही थे, सहित लगभग 141 व्यक्तियों की अमानवीय हत्या का संज्ञान लेते हुए इस घटना पर अपना क्षोभ, घोर आक्रोश, गहरा दुःख व्यक्त करती है तथा इस बर्बर, वहशी और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की भर्त्सना करती है तथा पाकिस्तान की संसद, सरकार, वहां की जनता, शोक-संतप्त परिवारों तथा घायलों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करती है।

यह सभा संकल्प करती है कि निर्दोष लोगों, विशेष रूप से अबोध बच्चों पर किए जाने वाले सभी आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा सभी राष्ट्रों और प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करती है कि वे अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संचित कर समस्त रूप और स्वरूप में विद्यमान आतंकवाद की सभी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करें।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।"

इस अवधि के दौरान पारित किए गए कुछ प्रमुख विधेयक निम्नलिखित थेः

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014; भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014; वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014; संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग विधेयक, 2014; प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014; प्रशिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014; और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014।

मित्रो, उत्कृष्ट भारतीय सांसदों और राष्ट्रीय नेताओं को सम्मानित करने के हमारे सतत प्रयासों की श्रृंखला में, माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 12 अगस्त, 2014 को आयोजित एक समारोह में डॉ. कर्ण सिंह, संसद सदस्य, राज्य सभा श्री अरूण जेटली, संसद सदस्य, राज्य सभा और श्री शरद यादव, संसद सदस्य, राज्य सभा को क्रमशः वर्ष 2010, 2011, और 2012 के लिए उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया। सभा में उनके विशिष्ट आचरण और संसदीय शिष्टाचार के अलावा इन सदस्यों ने अपने सार्वजनिक जीवन में सदा उच्च मानकों को बनाए रखा है। यहाँ मैं 'नोलन समिति' का उल्लेख आवश्य करूँगी जिसने ब्रिटिश सार्वजनिक जीवन के मानकों की जाँच की है और उसकी रिपोर्ट ने संसद सदस्यों, मंत्रियों और सिविल सेवकों, कार्यपालक क्वांगॉस (क्यूयूएएनजीओएस) (अर्ध-स्वायत्त गैर-सरकारी संगठन) और एनएचएस (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा) निकायों के लिए सार्वजनिक जीवन के सात

सिद्धांतों का उल्लेख किया जिनमें निःस्वार्थता, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जवाबदेही, खुलापन, ईमानदारी और नेतृत्व शामिल हैं। मैं सोचती हूँ कि हमारे देश के विधायकों को इन गुणों को बनाए रखने का भी प्रयास करना चाहिए।

इस संदर्भ में, मैं इस श्लोक का पाठ करना चाहूँगीः

तृष्णां छिन्धि, भज क्षमां, जहि मदं, पापे रतिं मा कृथाः

सत्यं ब्रूह्यनुयाहि साधुपदवीं, सेवस्य विद्वज्जनम्।

मान्यान्मानय, विद्विषोऽप्यनुनय, प्रच्छादय स्वान्गुणा-

न्कीर्तिं पालय, दुःखिते कुरु दयामेतत्सतां लक्षणं।।

(लालच का त्याग करें। क्षमाशीलता का पालन करें। मद्य का त्याग करें। पाप कर्म करने के प्रलोभन में न फँसे। सदा ईमानदार रहें। सज्जनों का अनुकरण करें। विद्वानों की सेवा करें। पात्र लोगों के प्रति सम्मान दर्शाएं। अपने शत्रुओं को भी संतुष्ट रखने का प्रयास करें। अपने गुणों का स्वयं बखान करने पर अंकुश लगाएँ। अपनी कीर्ति के अनुरूप कार्य करें। विपदाग्रस्त लोगों के प्रति करूणा दिखाएं। यही सज्जनों का व्यवहार है।)

मुझे प्रसन्नता है कि हम इस सम्मेलन में बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। इनमें से 'विकास में संसद की भूमिका' एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र के विकास और लोगों के कल्याण में बहुत से स्टेकहोल्डर हैं। लोगों के विकास में संसद की भूमिका बहुविध है।

पहले तो संसद या राज्य विधानमंडलों को स्व-सक्रिय होना चाहिए तथा सामर्थ्यकारी विधान बनाने की प्रक्रिया को सुकर बनाना चाहिए ताकि देश और लोगों की प्रगति और विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन सके। राजनैतिक दलों को संकुचित मनोवृत्ति से ऊपर उठना चाहिए तथा राष्ट्र के विकास पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ऐसे समय पर जबकि पूरे विश्व की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं, हमारे लिए यह संदेश देना अनिवार्य हो गया है कि प्रगति और विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में पूरा देश एकजुट है तथा सरकार के विकास संबंधी कार्यक्रमों को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक अवसर है और हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। संसदविदों और विधायकों को सदन और विधानमंडलों में सकारात्मक और सर्जनात्मक वाद-विवाद को भी सुकर बनाना चाहिए। इस संबंध में विपक्षी दलों को भी रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। जब विकास में लोगों का कल्याण शामिल हो तब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। बल्कि संसद को सदन में अर्थपूर्ण वाद-विवाद और चर्चा के ज़रिए जनता को जानकारी उपलब्ध कराने तथा उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जहाँ तक विकास का संबंध है, राज्य और केन्द्र को सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। 'सहकारी संघवाद' के उभरते हुए मूल्यों में राज्य विधानमंडलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमारा आदर्श वाक्य यह होना चाहिए जो मैं उद्धृत करती हूँः

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्भवेत।।

इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी हों, और सबकी पीड़ा और दुःख दूर हों। जनता के प्रतिनिधियों के रूप में हमारा प्राथमिक कर्तव्य लोगों का उत्थान और कल्याण है न कि भत्ते और परिलब्धियाँ प्राप्त करना। मुझे इस अवसर पर गाँधीजी के इन विचारों का भी स्मरण हो रहा है, जिन्हें मैं उद्धृत करती हूँः

''जब भी तुम्हें संदेह या तुम्हारा अहम् तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमज़ोर व्यक्ति तुमने देखा हो, उसका चेहरा याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? अर्थात् क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज (आज़ादी) मिल सकेगा जो भूखे हैं और जिनकी आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त होता जा रहा है।''

पेपरलेस संसद एक और महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और इसकी महत्ता को नकारा नहीं जा सकता। जैसाकि आप जानते हैं कि संसदीय कार्यों के संचालन के दौरान काफी संख्या में संसदीय-पत्रों के प्रकाशन के लिए ढेरों कागज़ों का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कार्य-सूची, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, संसदीय बुलेटिन, वाद-विवादों का सार-संक्षेप, सदन की कार्यवाहियाँ, समितियों के प्रतिवेदन तथा संसदीय और विधायी कार्यों से संबंधित अन्य दस्तावेज शामिल हैं। संसदीय पत्रों को तैयार करने के लिए इतने अधिक कागज़ का इस्तेमाल पारिस्थितिकी-तंत्र पर दुष्प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप सतत विकास पर प्रभाव पड़ता है। यद्यपि संसद या राज्य विधानमंडल को पूरी तरह पेपरलेस करना संभव नहीं है, फिर भी हम हमेशा ऐसा प्रयास तो कर ही सकते हैं कि कागज़ का इस्तेमाल और खपत कम-से-कम की जाए। इससे कई लाभ होंगे। सर्वप्रथम, इससे समय और स्थान की बचत होगी। इसके अलावा, डिजिटाइजेशन और सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के इस युग में सूचना को स्टोर करने और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें इन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए। मूल आशय यह है कि डिजिटाइजेशन के और अधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि कागज़ के इस्तेमाल को कम किया जा सके।

इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूँगी कि लोक सभा सचिवालय ने इस संबंध में पहले ही कई प्रयास किए हैं। मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्ती श्रीमती मीरा कुमार ने जून, 2010 में लोक सभा सचिवालय के कार्यालयों में कागज के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु लोक सभा के महासचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन प्रयासों से कुछ परिणाम प्राप्त हुए हैं। आंतरिक परिपत्र, वेतन-पर्चियाँ, छुट्टियों का लेखा-जोखा और कार्यालय प्रपत्र जो सभी अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, की हार्डकापियों का परिचालन समाप्त करके सचिवालय में पहले ही कागज के इस्तेमाल में भारी कमी आई है। सभा पटल पर रखे गए पत्रों तथा प्रश्न और उत्तरों को अब लोक सभा होमपेज पर अपलोड किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श इन मुद्दों का समाधान करने में काफी सहायक सिद्ध होंगे।

मुझे आशा और विश्वास है कि सम्मेलन के दौरान विशिष्ट प्रतिनिधियों का प्रवास आरामदायक रहेगा तथा सभी विचार-विमर्श उपयोगी और लाभप्रद रहेंगे।

धन्यवाद।